

20/05/25

पत्रां पेश हुं। मूल दावा अदम-पैरवी, अदम  
दाजिरी खारिज किया जा चुका है अब प्राण पत्र  
रर राता का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्राण पत्र  
रर राता इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।  
प्राण फैसला कुमार होकर दाखिल दफ्तर है।

आपका पत्र प्राप्त हुआ है।  
आपको सूचित किया जाता है कि प्राण पत्र  
रर राता खारिज किया जा चुका है।

आपको सूचित किया जाता है कि प्राण पत्र  
रर राता खारिज किया जा चुका है।

